UNDER GRADUATE MEDICAL ADMISSION COUNSELLING-2016

FOR

ADMISSION TO MBBS / BDS COURSES AS PER STATE MERIT / RANK LIST OF NEET(UG)-2016 AGAINST STATE QUOTA SEATS

(UGMAC – 2016)
(MBBS / BDS Courses)

PROSPECTUS
विवरण पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र - **2016-2017**

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

Visit our Website: www.bceceboard.com

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

अन्डर ग्रेज्यूएट मेडिकल एडमिशन कॉउन्सेलिंग-2016

(Under Graduate Medical Admission Counselling-2016

विवरण पुस्तिका

परिचय :

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-1/प.नि.-01/2015-884(1)/ स्वा., पटना, दिनांक 04.07.2016 के आलोक में बिहार राज्य के चिकित्सा / दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. / बी.डी. एस. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की कॉउन्सेलिंग मनोनयन / चयन , राष्ट्रीय स्तर पर सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन द्वारा आयोजित NEET (UG)-2016 की मेधा-सूची के अनुसार राज्य कोटा की 85 % सीटों पर, योग्यता-सह-विकल्पानुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किया जायेगा ।

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ :

(i) यह विवरण पुस्तिका ''UGMAC-2016 की विवरण पुस्तिका'' के नाम से जानी जायेगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरन्त लागू होगी ।

1.1 परिभाषायें :

(i) ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्राय है स्नातक स्तर के MBBS / BDS पाठ्यक्रम ।

(ii) ''परीक्षा'' से अभिप्राय है सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन द्वारा आयोजित NEET (UG)-2016 ।

(iii) ''पर्षद'' से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ।

(iv) ''सरकार'' से अभिप्राय है बिहार सरकार ।

(v) ''परीक्षा नियंत्रक'' से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जो सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं ।

(vi) ''बिहार'' से अभिप्राय है पुनर्गठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है ।

(vii) **चिकित्सा धारा से अभिप्राय :**

चिकित्सा धारा से अभिप्राय है MBBS / BDS पाठ्यक्रम ।

2. संस्थान एवं शाखा परिवर्तन :

संस्थान एवं शाखा परिवर्तन संबंधी सभी मामलों पर पर्षद द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार निर्णय लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा । उसके बाद संस्थान एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन-संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के निदेशकों/ कुलपतियों/ प्राचार्यों अथवा संबंधित निदेशालयों द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा पर्षद के निर्णयों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा ।

3. चिकित्सा / दन्त चिकित्सा संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें :

विभिन्न चिकित्सा / दन्त चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण सारणी-1 में दिया गया है । बिहार सरकार/ भारत सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों की सीटों की कुल संख्या में फेर-बदल करने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार के पूर्व दे दी जायेगी ।

4. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

4.1 NEET (UG)-2016 की मेधा-सूची (Rank list) के आधार पर **नामांकन हेतु चयन एवं आरक्षण लाभ के लिए UGMAC-2016 के Online आवेदन के निर्दिष्ट स्थान पर उसी आरक्षण कोटि को भरें जिसके लिए आपको विधिवत् जाति प्रमाण प्राप्त हो । राष्ट्रीय स्तर पर OBC (Other Backward Class) को बिहार राज्य में BC (Backward Class) एवं EBC (Extremely Backward Class) के रूप में पहचान प्राप्त है। अतः OBC के स्थान पर BC अथवा EBC जिस आरक्षण कोटि में आप आते हों उसका ही अल्लेख करें ।**

UGMAC-2016 के अनुसार नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन में बिहार सरकार द्वारा इस कॉउन्सेलिंग हेतु NEET(I)-2016 के लिए Online आवेदन Submit करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा ।

4.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की सीटों पर नामांकन हेतु उपरोक्त कंडिका-.1 के आलोक में आवंटन के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं:-